एफ. सं. 5(1)/2018-एमजीएमटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

ब्लॉक संख्या 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
दिनांक: 04 मई, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) के शीर्ष प्रबंधन पदाधिकारियों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) लिखने के लिए निर्धारित समय सीमा को बढ़ाना।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 9 अप्रैल, 2019, 27 दिसंबर, 2022 और 09 मार्च, 2023 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2021-22 के लिए सीपीएसईज़ के शीर्ष प्रबंधन पदाधिकारियों के एपीएआर लिखने की समय सीमा को निम्नलिखित तरीके से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है: –

गतिविधि	बढ़ी हुई कट-ऑफ तारीख	आगे बढ़ी हुई तारीख
रिपोर्टिंग प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन	15 मार्च, 2023	15 मई, 2023
समीक्षा प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन	30 मार्च, 2023	31 मई, 2023
स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन	15 अप्रैल, 2023	15 जून, 2023

2. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त छूट पर ध्यान देते हुए इस संबंध में आगे आवश्यक कार्रवाई करें।

संलग्न: यथा निर्दिष्ट

(क्रांति कुमार)
सहायक निदेशक
दूरभाष: 24367792

सेवा में,

सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के सचिव

प्रतिलिपि:

1. सभी सीपीएसईज़ के सीएमडी/एमडी
2. एनआईसी, डीपीई - डीपीई की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
3. एनआईसी-स्पैरो टीम- सीपीएसई-स्पैरो प्रणाली में उपरोक्त परिवर्तनों को शामिल करने के अनुरोध के साथ।